कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश ज्ञापांक../पटना, दिनांक ....
05/नि./अंके. (पैक्स अंकेक्षण)—65/2015

आदेश

चूँकि विभागीय आदेश संख्या–833 दिनांक 04.02.2016 द्वारा विभागीय अंकेक्षकों के कार्यरत पदबल में कमी को ध्यान में रखते हुए यह निदेश दिया गया था कि राज्य के पैक्सों का दिनांक 31.03.2015 तक के लेखा का अंकेक्षण सनदी लेखाकार से दिनांक 31.03.2016 तक निश्चित रूप से करा लिये जायें। सनदी लेखाकारों से अभियान चलाकर पैक्सों के अंकेक्षण किये जाने की प्रगति की समीक्षा के उपरान्त ऐसा पाया गया कि समयावधि की कमी की वजह से दिनांक 31.03.2016 तक पैक्सों के अंकेक्षण की संख्यात्मक प्रगति अपेक्षाकृत संतोषप्रद नहीं रहा।

अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि :–

1. पैक्सों का दिनांक 31.03.2015 तक के लेखाओं का अंकेक्षण करने की पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2016 से विस्तारित करते हुए दिनांक 30.06.2016 किया जाता है।

2/5/16

(अजय कुमार चौधरी)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3780 /पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि :– सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/विभागीय पैनल के सभी सनदी लेखाकार/राज्य के सभी पैक्स अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3780 /पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि :– 1. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि आदेश में उल्लिखित निदेशों का अनुश्रवण करेंगे तथा नियमित अंतराल पर वस्तुस्थिति से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अवगत करायेंगे।
2. प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को E-mail द्वारा संसूचित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2/5/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3780 /पटना, दिनांक 03.05.16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/5/16

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।